भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3723

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न भंडारण सुविधाएं

3723. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा तमिलनाडु विशेष रूप से कडलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मानसून के मौसम के दौरान पीडीएस धान का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु और कडलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में मानसून के दौरान पीडीएस की उचित भंडारण सुविधाएं न होने के कारण कितना प्रतिशत धान बर्बाद हुआ है;

(ग) सरकार सार्वजनिक वितरण में खाद्यान्नों को भारी वर्षा, बाढ़, अन्य विषम मौसम की घटनाओं से होने वाली क्षति से किस प्रकार बचाती है;

(घ) सरकार द्वारा तमिलनाडु विशेषरूप से कडलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान पीडीएस खाद्यान्न भंडारण की अवसंरचना में सुधार और नए गोदामों के विनिर्माण तथा नवीनीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) सरकार द्वारा तमिलनाडु में पीडीएस खाद्यान्नों के भंडारण और दुलाई में सामग्री की बर्बादी को कम करने के लिए क्या पहल की गई है; और

(च) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण की आपूर्ति के लिए आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): तमिलनाडु एक विकेन्द्रीकृत खरीद राज्य (डीसीपी) है। राज्य सरकार अपनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण करती है। आवश्यकता से कम खरीद होने की स्थिति में, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिशेष खरीद वाले राज्यों से स्टॉक मंगाकर खाद्यान्नों की कमी को पूरा किया जाता है। दिनांक 01.11.2024 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण हेतु तमिलनाडु राज्य में एफसीआई के पास उपलब्ध कवर्ड भंडारण क्षमता 12 लाख टन (स्वयं की- 6.46 लाख टन और किराये की-5.54 लाख टन) है और राज्य एजेंसियों के पास 8.92 लाख टन है। वर्तमान में कडलूर राजस्व जिले में भारतीय खाद्य निगम की कुल 30020 टन भंडारण क्षमता (स्वयं की+ किराए की) उपलब्ध है। तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम (टीएनसीएससी), कडलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु के विभिन्न राजस्व जिलों में धान का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करता है।

...2/-

(ख): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) खाद्यान्न टीएनसीएससी की अभिरक्षा में है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनुचित भंडारण के कारण कोई धान बर्बाद नहीं हुआ था।

(ग): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों का निर्माण भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों के अनुसार किया जाता है तथा खाद्यान्नों का भंडारण वैज्ञानिक रूप से किया जाता है। डिपुओं में उचित ड्रेनेज सुविधाएं उपलब्ध हैं और खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए लीकेज/रिसाव स्थलों को समय पर रोक दिया जाता है।

(घ): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में भंडारण क्षमता की आवश्यकता खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रचालनों पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भंडारण क्षमता का लगातार आकलन और निगरानी करता है तथा आवश्यकता और भंडारण अंतर (स्टोरेज गैप) आकलन के आधार पर, तमिलनाडु सहित समग्र भारत में भंडारण क्षमताएं निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से सृजित/किराए पर ली जाती हैं:-

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत साइलोज़ का निर्माण।
2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम।
3. केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम भंडारण और गोदाम।
4. केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
5. निजी भंडारण स्कीम (पीडब्ल्यूएस)।
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का सृजन।

गोदाम अवसंरचना का रखरखाव आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

(ड.): तमिलनाडु में पीडीएस खाद्यान्नों के भंडारण और परिवहन में खाद्य सामग्री की बर्बादी को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई पहल निम्नानुसार है:

भंडारण हानि:

- मासिक कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकों (एमपीआर) में भण्डारण हानि की स्थिति की समीक्षा की जाती है और उच्च भण्डारण एवं पारगमन हानि दर्शाने वाले डिपुओं का निरीक्षण/निगरानी को बढ़ाया जाता है।
- खाद्यान्नों की कवर्ड और प्लिन्थ भण्डारण क्षमता (सीएपी) से बचने के लिए कवर्ड भण्डारण क्षमता में वृद्धि की जाती है।
- खाद्यान्न स्टॉक को कीट/संक्रमण से बचाने के लिए अर्थात जैविक कारकों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए समय-समय पर रोगनिरोधी और उपचारात्मक इलाज किया जाता है।

...3/-

- उच्च भंडारण हानि को दर्शाने वाले डिपुओं की जाँच कार्यकारी निदेशक (अंचल), महाप्रबंधक (क्षेत्र) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह की जाती है।
- समय-समय पर औचक जांच के लिए विभिन्न आंचलिक/क्षेत्रीय दस्तों को भी तैनात किया जाता है।
- एफसीआई के सुरक्षा कर्मचारी, होम गार्ड और अन्य बाहरी एजेंजियों को स्टॉक के संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई डिपुओं में तैनात किया जाता है।
- अपने स्वयं के डिपो में बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए सीसीटीवी कैमरा संस्थापित किए जाते हैं।
- चारदीवारी में कंटीले तारों की बाड़ लगाने, गोदामों की रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और शेडों की उचित लॉकिंग जैसे भौतिक उपाय किए जाते हैं ताकि गोदामों की सुरक्षा की जा सके।
- जहां भी उचित जांच के बाद असामान्य/अनुचित हानि की रिपोर्ट प्राप्त होती है, वहाँ दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

पारगमन हानि:-

- मासिक कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकों में पारगमन हानि की समीक्षा की जाती है।
- नियमित अंतराल पर उच्च पारगमन हानि की जांच मुख्यालय/अंचल/क्षेत्र/जिला स्तर पर की जाती है।
- लदान/उठान के समय माल परेषण प्रमाणन दस्ते (आईसीसीएस) की स्वतंत्र रूप से तैनाती की गई।
- रेलवे वैगन के तल पर पॉलीथीन शीट को फैलाना ताकि स्पिल-ओवर अनाज को एकत्रित किया जा सके।
- अधिक पारगमन हानि संबंधी मामलों में जिम्मेदारी तय करने के लिए संयुक्त सत्यापन। पारगमन हानि के संयुक्त सत्यापन के लिए निचली सीमा को 1% से 0.75% तक कम कर दिया गया है और दिनांक 01.10.2022 से इसे 0.50% तक कम कर दिया गया है।
- मार्ग में चोरी आदि को रोकने के लिए दिनांक 01.01.2022 से खाद्यान्नों के लदान के समय वैगन पर उच्च सुरक्षा केबल सील लगाई जाती है। इससे असामान्य पारगमन हानि रिपोर्ट करने वाले रेकों की संख्या में 92% अर्थात 0.5% तक की कटौती हुई है।
- रेलहेड पर उपार्जित मेड-अप बैगों की गिनती की जाती है।
- जहां भी असामान्य/अनुचित हानि की रिपोर्ट प्राप्त होती है, दोषी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की बर्बादी को कम करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(च): पिछले पांच वित्त वर्षों के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के संबंध में बजट अनुमान **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 18 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3723 के उत्तर के भाग (ड.) में उल्लिखित अनुबंध

खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा उठाए गए कदम:-

(i) भंडारण पद्धतियों की उचित वैज्ञानिक संहिता अपना कर खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है।

(ii) खाद्यान्नों में फर्श से नमी को आने से रोकने के लिए पर्याप्त डनेज सामग्री जैसे लकड़ी की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथीन की चद्दरों का उपयोग किया जाता है।

(iii) सभी गोदामों में भंडारित अनाज के कीड़ों के नियंत्रण के लिए प्रधूमन कवर, नॉइलान की रस्सियाँ, जाल और कीटनाशक प्रदान किए जाते हैं।

(iv) भंडारित अनाज के कीड़ों के नियंत्रण के लिए गोदामों में रोग निरोधक (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोगहर उपचार (प्रधूमन) नियमित रूप से और समय पर किए जाते हैं।

(v) चूहों के नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय किए जाते हैं।

(vi) पारगमन हानि/'कवर एंड प्लिंथ' (सीएपी) भंडारण में खाद्यान्नों का भंडारण ऊंचे प्लिंथों पर किया जाता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी की क्रेटों का उपयोग किया जाता है। स्टेक्स को कम घनत्व वाले विशिष्ट रूप से तैयार किए गए वाटर प्रूफ काले रंग के पॉलीथीन कवरों से कवर किया जाता है और नॉइलान की रस्सियों/ जालों से बांध दिया जाता है।

(vii) योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टॉक/गोदामों के नियमित रूप से आवधिक निरीक्षण किये जाते हैं। खाद्यान्नों की गुणवत्ता की निगरानी नियमित अंतरालों पर विभिन्न स्तरों पर चेक और सुपर-चेक प्रणाली के माध्यम से की जाती है।

(viii) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' (एफआईएफओ) सिद्धांत का यथासंभव पालन किया जाता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधिक भंडारण से बचा जा सके।

(ix) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल कवर किए हुए रेल वैगनों का उपयोग किया जाता है ताकि पारगमन के दौरान क्षति से बचा जा सके।

(x) स्टॉक की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने और क्षति को कम करने के लिए जिला, क्षेत्र और अंचल स्तर पर क्षति निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। यदि कोई लापरवाही की सूचना मिलती है, तो जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है।

(xi) छत में लीकेज के सभी स्थानों की समय-समय पर पहचान और मरम्मत करना।

(xii) गोदाम परिसरों में नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाती है।

(xiii) यह सुनिश्चित करना कि गोदामों के अंदर कोई रिसाव (सीपेज) नहीं है।

(xiv) परिसर में पानी का जमाव नहीं होने देना।

*****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 18 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3723 के उत्तर के भाग (च) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वित्त वर्षों के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के संबंध में बजट अनुमान

वित्त वर्ष	बजट अनुमान (बीई) (करोड़ रुपए में)
2019-20	242240.39
2020-21	172235.43
2021-22	303974.30
2022-23	225959.58
2023-24	230513.94

*****